

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 79]	दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 27, 2019/ वैशाख 7, 1941	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 28
No. 79]	DELHI, SATURDAY, APRIL 27, 2019/ VAISAKHA 7, 1941	[N.C.T.D. No. 28

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस —II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2019

सं.फा. 3/02/एचईएसएमए/2015/गृह पुलिस— II/1426-1433.—जबकि दिल्ली के नागरिकों के लिए आवश्यक निर्बाध परिवहन सेवाओं को सुरक्षित करने के लिए गृह विभाग की दिनांक 27.10.2018 की अधिसूचना सं. 3/02/हेस्मा/2015/गृ.पु.—II/941-49 के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के संविदात्मक कर्मचारियों (ड्राइवरों एवं कंडक्टरों) के विरुद्ध छः माह की अवधि के लिए हेस्मा लगाया गया था। उक्त अधिसूचना दिनांक 26.4.2019 तक वैध है।

और जबकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल आगे इस बात से संतुष्ट हैं कि दिल्ली के नागरिकों के लिए परिवहन की निर्बाध आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली परिवहन निगम के संविदात्मक कर्मचारियों (ड्राइवरों एवं कंडक्टरों) के विरुद्ध और छः माह की अवधि के लिए हेस्मा का विस्तार करना आवश्यक है।

अब, इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30.7.1993 की अधिसूचना सं० सा.का.नि. 526(अ) के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथाविस्तारित हरियाणा अनिवार्य सेवा रखरखाव अधिनियम, 1974 (1974 का हरियाणा अधिनियम सं० 40) की धारा 4क के साथ पठित धारा 3 के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उपर्युक्त सेवाओं को अनिवार्य सेवाएं घोषित करते हैं और दिल्ली परिवहन निगम के संविदात्मक कर्मचारियों (ड्राइवरों / कंडक्टरों) द्वारा की जाने वाली हड़ताल / आंदोलन पर दिनांक 27.4.2019 से 26.10.2019 तक और छः माह की अवधि के लिए प्रतिबंध लगाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ओ.पी. मिश्रा, विशेष सचिव (गृह)

HOME POLICE –II DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 26th April, 2019

F.3/02/HESMA/2015/HP-II/1426-1433.—Whereas the vide Home Department GNCTD Notification No. F.3/02/HESMA/2015/HP-II/941-49 dated 27.10.2018 HESMA was imposed against contractual employees (Drivers & Conductors) of Delhi Transport Corporation for a period of six months to secure uninterrupted Transport services necessary for the citizen of Delhi. The said notification is **valid up to 26.04.2019**.

And whereas the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is further satisfied that to ensure uninterruptedly essential services of Transport to the citizen of Delhi, It is necessary to extend HESMA for another period of six months against contractual employees (Drivers & Conductors) of Delhi Transport Corporation.

Now, therefore, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, in exercise of Powers conferred upon him under section 3 read with section 4A of the Haryana Essential Services Maintenance Act 1974 (Haryana Act No. 40 of 1974) as extended to the National Capital Territory of Delhi vide Govt. of India, Ministry of Home Affairs Notification No. GSR 526(E) dated 30.07.93, hereby declares the above-said services as essential services and prohibits the strike/agitation by contractual employees (Drivers & Conductors) of Delhi Transport Corporation for an another period of six months w.e.f 27.04.2019 up to 26.10.2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
O.P. MISHRA, Special Secy. (Home)